



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-68

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267076 दिनांक 15/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rekha Devi S/o Prakash Chandra	श्रीमती दीपा पत्नी श्री गिरधारी लाल	17B	103.88 SQ. YARD	Cooperative	BHAIRAV COLONY (BHAIRAV GNSS) Sector/Block-	Name Transfer	आवेदिका श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री प्रकाश चन्द द्वारा भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि० की योजना भैरवा कॉलोनी के आवासीय भूखण्ड संख्या 17-बी क्षेत्रफल 103.88 वर्ग० का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। आवेदित भूखण्ड का लीजहोल्ड पट्टा श्रीमती दीपा पत्नी श्री गिरधारी लाल के नाम जारी किया गया था। श्रीमती दीपा परवानी की मृत्यु दिनांक 26.01.2014 एवं श्री गिरधारी लाल की मृत्यु दिनांक 29.05.2009 को हो चुकी है। विक्रय पत्र अनुसार आवेदित भूखण्ड का बैचान तरुण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पारवानी, गोपाल
पारवानी पुत्रान्
स्व0 श्री गिरधारी
लाल एवं महक
पारवानी, सोनिया
पारवानी पुत्रीयां
स्व0 श्री गिरधारी
लाल द्वारा
पंजीकृत विक्रय
पत्र दिनांक
13.02.2025 के
माध्यम से श्रीमती
रेखा देवी पत्नी श्री
प्रकाश चन्द को
विक्रय किया गया
है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rekha Devi S/o Prakash Chandra को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।